

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2234 / 2008 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राज. जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड,
(नया नाम—मैसर्स टाटा मोटर्स), जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप—राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.01.2015

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राज., जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स—द्वितीय), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जो अपील संख्या 86/अपील्स-II/आरएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज./2006-07/क.नि.व.98-99 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 34 के तहत निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 19.08.2006 के जरिये पारित कायम अंतर कर रू.1,32,349/-- व सरचार्ज रू.9,415/-- व अनुवर्ती ब्याज रू.26,238/-- को अपीलीय अधिकार द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी (TELCO) मोटर व्हिकल का विक्रय करता है। व्यवहारी का आलोच्य अवधि का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.12.2000 को पारित कर, तदनुसार मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित निर्धारण आदेश दिनांक 27.12.2000 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश को जरिये आदेश दिनांक 19.04.2002 को अपास्त कर, प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया गया । अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में आलोच्य अवधि को निर्धारण आदेश दिनांक 04.04.2004 को

२ - लगातार.....2

पारित कर, तदनुसार मांग राशियां कायम की। पुनः प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उक्त पारित आदेश दिनांक 04.04.2004 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 26.08.2005 के पुनः निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में व्यवहारी को आलोच्य अवधि के संबंध में करारोपण हेतु नोटिस जारी कर, मोटर वाहन के चैसिस के साथ स्टेपनी टायर रिम को बिल में दर्शाते हुए विक्रय करने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि स्टेपनी टायर का विक्रय प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अलग से किया जा रहा है, जिस पर कर दर 12 प्रतिशत है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1998-99 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गयी टायर बिक्री पर अंतर कर 6 प्रतिशत व 2 प्रतिशत (समय-समय पर यथासंशोधित) कुल रु.1,32,349/- व सरचार्ज रु.9,415/- व अनुवर्ती ब्याज रु.26,238/- आरोपित कर, आदेश दिनांक 19.08.2006 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिविरुद्ध, अविधिक, त्रुटिपूर्ण व रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित करते हुए अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज को अपास्त किया है। अग्रिम कथन किया कि यह तथ्य दस्तावेजों से विदित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मोटर व्हिकल की बिक्री के साथ अतिरिक्त टायर रिम की बिक्री की अलग से राशि वसूल की जाती है, जिस पर मोटर वाहन की दर 4 प्रतिशत से कर वसूल किया जाता है। इसलिए अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 19.08.2006 में अन्तर कर 6 प्रतिशत व 2 प्रतिशत की दर से अंतर कर व सरचार्ज आरोपित किया, जो कि अदत्त रहने के कारण अनुवर्ती ब्याज भी आरोपित किया गया था।

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वाहनों में 6 टायर का प्रयोग किया जाता है, जो लगे (Fitted) होते हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वाहन के साथ एक अतिरिक्त टायर सप्लार्ड किया जाता है, जिसका विक्रय


मूल्य बिलों में अलग से ग्राहकों से वसूल किया जाता है। स्टेपनी टायर बिक्रीत वाहन का अंग नहीं होने व स्पेयर पार्ट नहीं होने के कारण आलोच्य निर्धारण वर्ष में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से अंतर कर, सरचार्ज व ब्याज आरोपित किया गया था। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम मांग राशियों को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि ग्राहकों को वाहन की बिक्री संविदा (Contract) की जाती है, न कि स्टेपनी टायर अलग से विक्रय करने की। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीदे गये वाहनों के साथ स्टेपनी लगे हुए वाहन प्राप्त होते हैं, जिन पर कम्पनी को मोडवेट भी मिलता है। यह स्टेपनी टायर बिक्रीत वाहन का ही अंग होता है। बिल में स्टेपनी टायर का अंकन कर विक्रय मूल्य दर्शाने से स्टेपनी टायर की अलग से बिक्री किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

अग्रिम कथन किया कि राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 7.34 के अनुसार मोटर यान के साथ कम से कम एक टायर वाहन में अतिरिक्त लगी हुई होनी चाहिये, इसलिए वाहन विक्रय करने पर विशिष्ट जगह पर अतिरिक्त टायर रिम ग्राहकों को मोटर यान के विक्रय में ही दिया जाता है, जिसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अतः अलग से विक्रय नहीं होने के कारण भी यान की दर से ही कर देय है।

अग्रिम कथन किया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या F.No.332/64/86-TRU दिनांक 24.1.1987 अनुसार भी जीप में स्पेयर व्हील को जीप की कीमत में अवधारित करते हुए मोडवेट स्कीम में शामिल माना है।

इस प्रकार अतिरिक्त टायर रिम वाहन के साथ विक्रय करना विधिक आवश्यकता होने व टायर का विक्रय संविदा अलग से नहीं होने के कारण वाहन का अभिन्न अंग होने से उस पर वाहन की कर दर से ही कर देय है। अपने कथन के समर्थन में समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रत्यर्थी के ही प्रकरणों अपील संख्या 1964, 2066 व 2067 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक 29.08.2013 में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम अंतर कर व ब्याज की मांग राशियों को अपास्त किया गया है। अतः उक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत व दिये





गये तर्कों के आलोक में, अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा मोटर यान का विक्रय किया जाता है। विक्रय बिलों कम डिलीवरी चालानों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित कीमत में स्टेपनी टायर व 24V Elec.Sys. (2x12V Battery) की कीमत जोड़ते हुए तथा फ्री ऑफ कोस्ट टूल्स की कीमत घटाते हुए शुद्ध मूल्य पर बिक्री कर जोड़कर ग्राहकों द्वारा कुल देय राशि अंकित की जाती है। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने माना कि स्टेपनी टायर की कीमत अलग से वसूल किये जाने के कारण व स्टेपनी टायर मोटर यान का अंग नहीं होने के कारण इस पर टायर की दर से करारोपण किया जाना चाहिये, इसलिए आलोच्य वर्ष में प्रभावी कर दर आरोपित करते हुए अन्तर कर, सरचार्ज व ब्याज आरोपित किया गया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क में बल युक्त है कि स्टेपनी टायर का विक्रय अलग से संविदा के तहत विक्रय नहीं किया गया है। वाहन क्रय करते समय स्टेपनी टायर वाहन चैसिस में बने विशिष्ट स्थान पर लगा (Fitted) होता है, जो वाहन विक्रय किये जाने पर वाहन के साथ ही ग्राहक को हस्तान्तरित हो जाता है। विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी स्वीकार योग्य है कि राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 7.34 के तहत कम्पनी द्वारा बिक्रीत वाहन के साथ स्टेपनी टायर लगा होना विधिक आवश्यकता भी है। इस संबंध में नियम 7.34 को प्रोद्धारित करना समीचीन होगा -


"7.34. Spare wheel and tools.- Save as otherwise specified, by the Regional Transport Authority in respect of municipal or cantonment areas, every public service vehicle shall, at all times be equipped with not less than one spare wheel or rim, fitted with a pneumatic tyre in good and sound condition ready and inflated, and mounted in such a way that it can be readily dismounted and fitted to the vehicle, in the place of any one of the road wheels."


भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा भी अतिरिक्त टायर को मोडवेट स्कीम के तहत ही माना है, जिसका आशय है कि वाहन के साथ ही स्टेपनी टायर विक्रय होने पर इस पर भी मोडवेट की सुविधा उक्त परिपत्र के आलोक में अनुमत है। उक्त आधार पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टेपनी टायरों पर आरोपित अंतर कर, सरचार्ज व ब्याज विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1964, 2066 व 2067 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक

अपील संख्या - 2234/2008/जंयपुर.
29.08.2013 को कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 29.08.2013 के अस्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम अंतर कर व ब्याज की मांग राशियों को अपास्त किया गया है। फलस्वरूप, ऊपर प्रोद्धति न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलीय आदेश दिनांक 13.12.2007 की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


28.1.2015
(मदन लाल)
सदस्य


(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष